प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
प्रतापगढ़,, मथुरा, फिरोजाबाद, उन्नाव, रायबरेली, आगरा, झांसी, सोनभद्र, वाराणसी एवं गाजीपुर
उ0प्र0।

पत्रांकः एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / Fluorosis / Main File / 2018–19 / 08 /6599-10 दिनांकः17/09/2018

विषय : राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में जनपदवार आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आर0ओ0पी0 2018–19 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल रू0 7821000.00 की धनराशि अनुमोदित की गई है तद्क्रम में दिशा–निर्देश के अन्तर्गत जनपदवार व मंदवार कुल रू0 3162000.00 धनराशि की स्वीकृति मंदवार जनपदों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रदान की गयी है।

National Programme for Prevention and control of Fluorosis
Districts Wise Budget Allocation as Per ROP-2018-19

Sr.No.	District	Consultant	Lab Technician	Lab Diagnostic Facility (Old District)	IEC	Medical Management (Old District	TA / DA of Concerned officers	NPPCF Coordination Meeting at district Level (Old District)	Total Budget Allocation to District
	FMR Code	16.8.2.3.2	8.1.1.5	1.3.2.3	11.13.1	1.1.6.4	16.1	B.29.2.4	
1	Pratapgarh	540000	138500	100000	200000	100000	5000	5000	1088500
2	Mathura	540000	138500	100000	200000	100000	5000	5000	1088500
3	Firozabad	540000	0	100000	200000	100000	5000	5000	950000
4	Unnao	0	0	0	0	0	5000	0	5000
5	Raebareli	0	0	0	0	0	5000	0	5000
6	Agra	0	0	0	0	0	5000	0	5000
7	Jhansi	0	0	0	0	0	5000	0	5000
8	Sonbhadra	0	0	0	0	0	5000	0	5000
9	Varanasi	0	0	0	0	0	5000	0	5000
10	Gazipur	0	0	0	0	0	5000	0	5000
Total		1620000	277000	300000	600000	300000	50000	15000	3162000

1. जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु उक्त धनराशि का व्यय जनपद की उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 की DAP के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

2–जनपद में फ्लोरोसिस उपचार केन्द्र की स्थापना

i. मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद स्तर पर पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा नोडल अधिकारी के साथ बैठक कर चिकित्सालय में फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम हेतु एक कक्ष चिन्हित करेंगे। जिसके बाहर फ्लोरोसिस उपचार केन्द्र नाम का एक बोर्ड लगाया जायेगा तथा फ्लोरोसिस से सम्बन्धित समस्त जानकारियों को पोस्टर एवं बैनर के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा। चिकित्सालय में तैनात एक फिजीशियन/ बालरोग चिकित्सक को राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम चिकित्सा प्रभारी नामित किया जायेगा।

ii. पाँच नवीन जनपदों में प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए चिकित्सालय में स्थान चिन्हित कर लें एवं राज्य स्तर पर सूचित करें।

iii. प्रभारी चिकित्सक इस कार्यक्रम का अलग से एक ओ0पी0डी0 रजिस्टर रखेंगे तथा सभी सम्भावित फ्लोरोसिस प्रभावितों को पुष्टि हेतु मूत्र जाँच के लिए लैब में भेजेंगे।

iv. प्रयोगशाला में संविदा पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन द्वारा फ्लोरोसिस प्रभावितों के मूत्र नमूनों तथा क्षेत्र से प्राप्त जल नमूनों की जाँच आयनमीटर से की जायेगी।

v. रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात प्रभावितों को आवश्यक उपचार तथा स्वास्थ्य शिक्षा दी जायेगी।

vi. सभी प्रभावितों की मासिक रिपोर्ट "फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम" के परामर्शदाता तथा लैब टेक्नीशियन के सहयोग से चिकित्सालय से प्राप्त कर नोडल चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्रतिमाह राज्य स्तर पर अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित करेंगे।

3–प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की स्क्रीनिंग

i. मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोडल अधिकारी के माध्यम से समस्त अधीक्षक/एम0ओ0आई0सी0 के साथ एक बैठक आहूत कर उन्हें अपने क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों की सूची (ए0एन0एम0 के क्षेत्रवार) बैठक में लाने के निर्देश देगें तथा इस कार्यक्रम के सभी बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगें।

ii. प्रत्येक ब्लाक पर कार्यरत स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/एच0वी0 को कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूली बच्चों की स्क्रीनिंग व आई0ई0सी0 का प्रभारी बनाया जायेगा। यह जिला परामर्शदाता के साथ मिलकर अपने ब्लाक के 10 प्राथमिक पाठशाला प्रतिमाह के दर से रोस्टर बनायेंगें। प्रत्येक तीन माह के इस रोस्टर को सभी ब्लाकों से प्राप्त कर जिला नोडल अधिकारी को प्राप्त कराना जिला परामर्शदाता का उत्तरदायित्व होगा।

iii. तीन माह का यह रोस्टर सम्बन्धित ए0एन0एम0 तथा एच0वी0 को भी उपलब्ध कराया जायेगा जिससे वह आशा आदि को पूर्व से सूचित कर स्कूल में पर्याप्त व्यवस्था करवा सके। एक माह में यथा सम्भव 10 अलग–अलग ए0एन0एम0 के क्षेत्रों के स्कूल आच्छादित किये जायें।

iv. प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 100 बच्चों की फ्लोरोसिस के लक्षणों हेतु जाँच की जायेगी जिसके रिकार्ड के लिये रजिस्टर बनाया जायेगा। प्रभावित बच्चों को जिला पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय पर उपचार हेतु संदर्भित किया जायेगा।

v. जिस स्कूल में टीम स्क्रीनिंग करेगी उसी क्षेत्र के न्यूनतम 4 हैण्डपम्प से पानी के नमूने भी एकत्र कर जनपद पर स्थापित लैब में भिजवाये जायेगें।

vi. ब्लाक के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, ए0एन0एम0 तथा एच0वी0 से संलग्नक प्रारूप–1घ पर रिपोर्ट प्राप्त कर माह की 25 तारीख तक परामर्शदाता को प्राप्त करायेगें जिससे परामर्शदाता सभी ब्लाकों से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित कर माह की 30 तारीख तक नोडल अधिकारी के माध्यम से राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ0प्र0 लखनऊ को ई–मेल (adshi1972@gmail.com) पर प्रेषित करेगें। इसी प्रकार NPPCF उपचार केन्द्र की उपलब्धि की रिपोर्ट भी परामर्शदाता एकत्रित करेगे एवं प्रतिमाह संकलित कर प्रारूप संलग्नक 1ग पर राज्य स्तर पर प्रेषित करेगे।

4–जल निगम से समन्वय

जिला नोडल अधिकारी तथा जिला परामर्शदाता जलनिगम के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर ब्लाकवार/ग्राम सभावार क्षेत्र के सभी हैण्ड पम्पों के विषय में सूचना एकत्र करेगें एवं फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल व्यवस्था हेतु की जाने वाली कार्यवाही की अद्यतन जानकारी लेगें तथा प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह राज्य स्वास्थ्य संस्थान को प्रेषित करेगें।

5– वित्तीय स्वीकृतियाँ

i. **मानव संसाधन–** मंद सं0–**16.8.2.3.2 पर जनपदीय सलाहकार का मानदेय एवं मंद– 8.1.1.5 पर एल0टी0 संविदाकर्मियों का मानदेय** जनपद में NPPCF कार्यक्रम के प्रभावी संचालन संचालन हेतु उपलब्ध कराया गया है।

ii. **लैब डायग्नोस्टिक एवं रिएजेंट (Lab Diagnostic & Reagents)**– पुराने तीन जनपदों (मथुरा, प्रतापगढ एवं फिरोजाबाद) मे जहाँ प्रयोगशाला कार्यशील है, सम्बन्धित जनपद को रू0 1.0लाख (रू0 एक लाख) की धनराशि **FMR code 1.3.2.3** के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है।

iii. **मेडिकल री–हैबिलिटेशन एवं उपचार (Medical Management rehabilitation & surgery)** भारत सरकार द्वारा पुराने तीन कार्यशील जनपदों (मथुरा, प्रतापगढ एवं फिरोजाबाद) को सम्बन्धित जनपद को रू0 1.0लाख (रू0 एक लाख) की धनराशि FMR code 1.1.6.4 के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है।

iv. **मंद सं0– B.29.2.4 NPPCF Coordination Meeting at district Level (Old District)** समन्वय बैठक (coordination meeting at district level) रू0 5000.00 उपरोक्तानुसार सम्बन्धित 10 जनपदों को धनराशि आवंटित की जा रही है।

v. **FMR code 16.1 (TA DA of concerned officers at district level)** भारत सरकार द्वारा रू0 50000.00 (रू0 पचास हजार) की धनराशि आवंटन की गयी है।

6– <u>प्रचार प्रसार</u>

भारत सरकार द्वारा **FMR code 11.13.1** के अन्तर्गत पुराने तीन जनपद (मथुरा, प्रतापगढ एवं फिरोजाबाद) प्रति जनपद रू0 200000.00 (रू0 दो लाख) को धनराशि आवंटित की गयी है।

7–प्रशिक्षण

जनपदों में परामर्शदाता एवं एल0टी0 की नियुक्ति होते ही राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ0प्र0, लखनऊ को सूचित करें जिससे भारत सरकार द्वारा NIN Hyderabad में उनका प्रशिक्षण कराया जा सके। आप अवगत ही है कि फ्लोरोसिस प्रभावितों का इलाज कठिन है। अतः रोकथाम ही सर्वोपरि है। उसके लिये क्षेत्र में प्रचार–प्रसार गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी। स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार विज्ञापन दिये जायें एंव ग्राम सभाओं में वॉल पेंटिंग के माध्यम से अपील करें कि वे अपने गाँव में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था के लिये गम्भीर प्रयास करें।

8. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

9. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

11. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

12. कार्यक्रम के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम, कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के पत्र सं0 1207–13 दिनांक 05/05/2016

द्वारा जनपदों को निर्गत किया जा चुका है। कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित की जायेगी।

13. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

14. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांकः एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / Fluorosis / Main File / 2018–19 / 08 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त, जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय प्रगति की समीक्षा लक्ष्य के सापेक्ष करते हुये मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को ई–मेल के माध्यम से इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जनपदीय नोडल, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि कार्यक्रम में लक्ष्य के सापेक्ष प्रति माह भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अर्जित करते हुये प्रति माह राज्य मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उप–महाप्रबन्धक, एन0सी0डी0

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
प्रतापगढ़,, मथुरा, फिरोजाबाद, उन्नाव, रायबरेली, आगरा, झांसी, सोनभद्र, वाराणसी एवं गाजीपुर
उ0प्र0।

पत्रांकः एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / Fluorosis / Main File / 2018–19 / 08 / दिनांकः 17/9/2018

विषय : राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में जनपदवार आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आर0ओ0पी0 2018–19 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल रू0 7821000.00 की धनराशि अनुमोदित की गई है तद्क्रम में दिशा–निर्देश के अन्तर्गत जनपदवार व मंदवार कुल रू0 3162000.00 धनराशि की स्वीकृति मंदवार जनपदों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रदान की गयी है।

National Programme for Prevention and control of Fluorosis
Districts Wise Budget Allocation as Per ROP-2018-19

Sr.No.	District	Consultant	Lab Technician	Lab Diagnostic Facility (Old District)	IEC	Medical Management (Old District	TA / DA of Concerned officers	NPPCF Coordination Meeting at district Level (Old District)	Total Budget Allocation to District
	FMR Code	16.8.2.3.2	8.1.1.5	1.3.2.3	11.13.1	1.1.6.4	16.1	B.29.2.4	
1	Pratapgarh	540000	138500	100000	200000	100000	5000	5000	1088500
2	Mathura	540000	138500	100000	200000	100000	5000	5000	1088500
3	Firozabad	540000	0	100000	200000	100000	5000	5000	950000
4	Unnao	0	0	0	0	0	5000	0	5000
5	Raebareli	0	0	0	0	0	5000	0	5000
6	Agra	0	0	0	0	0	5000	0	5000
7	Jhansi	0	0	0	0	0	5000	0	5000
8	Sonbhadra	0	0	0	0	0	5000	0	5000
9	Varanasi	0	0	0	0	0	5000	0	5000
10	Gazipur	0	0	0	0	0	5000	0	5000
Total		1620000	277000	300000	600000	300000	50000	15000	3162000

1. जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु उक्त धनराशि का व्यय जनपद की उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 की DAP के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

2–जनपद में फ्लोरोसिस उपचार केन्द्र की स्थापना

i. मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद स्तर पर पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा नोडल अधिकारी के साथ बैठक कर चिकित्सालय में फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम हेतु एक कक्ष चिन्हित करेंगे। जिसके बाहर फ्लोरोसिस उपचार केन्द्र नाम का एक बोर्ड लगाया जायेगा तथा फ्लोरोसिस से सम्बन्धित समस्त जानकारियों को पोस्टर एवं बैनर के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा। चिकित्सालय में तैनात एक फिजीशियन/ बालरोग चिकित्सक को राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम चिकित्सा प्रभारी नामित किया जायेगा।

ii. पाँच नवीन जनपदों में प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए चिकित्सालय में स्थान चिन्हित कर लें एवं राज्य स्तर पर सूचित करें।

iii. प्रभारी चिकित्सक इस कार्यक्रम का अलग से एक ओ0पी0डी0 रजिस्टर रखेंगे तथा सभी सम्भावित फ्लोरोसिस प्रभावितों को पुष्टि हेतु मूत्र जाँच के लिए लैब में भेजेंगे।

iv. प्रयोगशाला में संविदा पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन द्वारा फ्लोरोसिस प्रभावितों के मूत्र नमूनों तथा क्षेत्र से प्राप्त जल नमूनों की जाँच आयनमीटर से की जायेगी।

v. रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात प्रभावितों को आवश्यक उपचार तथा स्वास्थ्य शिक्षा दी जायेगी।

vi. सभी प्रभावितों की मासिक रिपोर्ट "फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम" के परामर्शदाता तथा लैब टेक्नीशियन के सहयोग से चिकित्सालय से प्राप्त कर नोडल चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्रतिमाह राज्य स्तर पर अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित करेंगे।

3–प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की स्क्रीनिंग

i. मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोडल अधिकारी के माध्यम से समस्त अधीक्षक/एम0ओ0आई0सी0 के साथ एक बैठक आहूत कर उन्हें अपने क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों की सूची (ए0एन0एम0 के क्षेत्रवार) बैठक में लाने के निर्देश देगें तथा इस कार्यक्रम के सभी बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगें।

ii. प्रत्येक ब्लाक पर कार्यरत स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/एच0वी0 को कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूली बच्चों की स्क्रीनिंग व आई0ई0सी0 का प्रभारी बनाया जायेगा। यह जिला परामर्शदाता के साथ मिलकर अपने ब्लाक के 10 प्राथमिक पाठशाला प्रतिमाह के दर से रोस्टर बनायेंगें। प्रत्येक तीन माह के इस रोस्टर को सभी ब्लाकों से प्राप्त कर जिला नोडल अधिकारी को प्राप्त कराना जिला परामर्शदाता का उत्तरदायित्व होगा।

iii. तीन माह का यह रोस्टर सम्बन्धित ए0एन0एम0 तथा एच0वी0 को भी उपलब्ध कराया जायेगा जिससे वह आशा आदि को पूर्व से सूचित कर स्कूल में पर्याप्त व्यवस्था करवा सके। एक माह में यथा सम्भव 10 अलग–अलग ए0एन0एम0 के क्षेत्रों के स्कूल आच्छादित किये जायें।

iv. प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 100 बच्चों की फ्लोरोसिस के लक्षणों हेतु जाँच की जायेगी जिसके रिकार्ड के लिये रजिस्टर बनाया जायेगा। प्रभावित बच्चों को जिला पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय पर उपचार हेतु संदर्भित किया जायेगा।

v. जिस स्कूल में टीम स्क्रीनिंग करेगी उसी क्षेत्र के न्यूनतम 4 हैण्डपम्प से पानी के नमूने भी एकत्र कर जनपद पर स्थापित लैब में भिजवाये जायेगें।

vi. ब्लाक के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, ए0एन0एम0 तथा एच0वी0 से संलग्नक प्रारूप–1घ पर रिपोर्ट प्राप्त कर माह की 25 तारीख तक परामर्शदाता को प्राप्त करायेगें जिससे परामर्शदाता सभी ब्लाकों से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित कर माह की 30 तारीख तक नोडल अधिकारी के माध्यम से राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ0प्र0 लखनऊ को ई–मेल (adshi1972@gmail.com) पर प्रेषित करेगें। इसी प्रकार NPPCF उपचार केन्द्र की उपलब्धि की रिपोर्ट भी परामर्शदाता एकत्रित करेगे एवं प्रतिमाह संकलित कर प्रारूप संलग्नक 1ग पर राज्य स्तर पर प्रेषित करेगे।

4–जल निगम से समन्वय

जिला नोडल अधिकारी तथा जिला परामर्शदाता जलनिगम के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर ब्लाकवार/ग्राम सभावार क्षेत्र के सभी हैण्ड पम्पों के विषय में सूचना एकत्र करेगें एवं फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल व्यवस्था हेतु की जाने वाली कार्यवाही की अद्यतन जानकारी लेगें तथा प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह राज्य स्वास्थ्य संस्थान को प्रेषित करेगें।

5– वित्तीय स्वीकृतियाँ

i. **मानव संसाधन–** मंद सं0–**16.8.2.3.2 पर जनपदीय सलाहकार का मानदेय एवं मंद– 8.1.1.5 पर एल0टी0 संविदाकर्मियों का मानदेय** जनपद में NPPCF कार्यक्रम के प्रभावी संचालन संचालन हेतु उपलब्ध कराया गया है।

ii. **लैब डायग्नोस्टिक एवं रिएजेंट (Lab Diagnostic & Reagents)**– पुराने तीन जनपदों (मथुरा, प्रतापगढ एवं फिरोजाबाद) मे जहाँ प्रयोगशाला कार्यशील है, सम्बन्धित जनपद को रू0 1.0लाख (रू0 एक लाख) की धनराशि **FMR code 1.3.2.3** के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है।

iii. **मेडिकल री–हैबिलिटेशन एवं उपचार (Medical Management rehabilitation & surgery)** भारत सरकार द्वारा पुराने तीन कार्यशील जनपदों (मथुरा, प्रतापगढ एवं फिरोजाबाद) को सम्बन्धित जनपद को रू0 1.0लाख (रू0 एक लाख) की धनराशि FMR code 1.1.6.4 के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है।

iv. **मंद सं0– B.29.2.4 NPPCF Coordination Meeting at district Level (Old District)** समन्वय बैठक (coordination meeting at district level) रू0 5000.00 उपरोक्तानुसार सम्बन्धित 10 जनपदों को धनराशि आवंटित की जा रही है।

v. **FMR code 16.1 (TA DA of concerned officers at district level)** भारत सरकार द्वारा रू0 50000. 00 (रू0 पचास हजार) की धनराशि आवंटन की गयी है।

6– <u>प्रचार प्रसार</u>

भारत सरकार द्वारा **FMR code 11.13.1** के अन्तर्गत पुराने तीन जनपद (मथुरा, प्रतापगढ एवं फिरोजाबाद) प्रति जनपद रू0 200000.00 (रू0 दो लाख) को धनराशि आवंटित की गयी है।

7–प्रशिक्षण

जनपदों में परामर्शदाता एवं एल0टी0 की नियुक्ति होते ही राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ0प्र0, लखनऊ को सूचित करें जिससे भारत सरकार द्वारा NIN Hyderabad में उनका प्रशिक्षण कराया जा सके। आप अवगत ही है कि फ्लोरोसिस प्रभावितों का इलाज कठिन है। अतः रोकथाम ही सर्वोपरि है। उसके लिये क्षेत्र में प्रचार–प्रसार गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी। स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार विज्ञापन दिये जायें एंव ग्राम सभाओं में वॉल पेंटिंग के माध्यम से अपील करें कि वे अपने गाँव में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था के लिये गम्भीर प्रयास करें।

8. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

9. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

11. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

12. कार्यक्रम के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम, कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के पत्र सं0 1207–13 दिनांक 05/05/2016

द्वारा जनपदों को निर्गत किया जा चुका है। कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित की जायेगी।

13. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

14. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांकः एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / Fluorosis / Main File / 2018–19 / 08 / 6599-10(9) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त, जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय प्रगति की समीक्षा लक्ष्य के सापेक्ष करते हुये मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को ई–मेल के माध्यम से इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जनपदीय नोडल, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि कार्यक्रम में लक्ष्य के सापेक्ष प्रति माह भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अर्जित करते हुये प्रति माह राज्य मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उप–महाप्रबन्धक, एन0सी0डी0